भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR 2013

1361
16/9/13

M 023396

Serial No. 14442

24 AUG 2013

प्रदाधिकारी
भागलपुर

देवासी स्टेटस (प्रा०) लि० कम्पनी निर्देशक श्री राधेश्याम दालानियाँ
सा० के० बी० लाल रोड थाना नाथनगर, भागलपुर

1000/-

Deed No. 14227

Suresh Mandal
Stamp Vender
R. L. No-28/87-88
Bhagalpur Court Compound

Govt. of Bihar

District Registry Office ,Bhagalpur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 18/09/2013 by Sushila Devi
A Stamp Duty of Rs. 249900/- and other Fees of Rs. 20420/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 14227 in Book No. 1, Volume No. 199 on pages from 246 to 259 and has been preserved in total 14 pages in C.D. No. 31 / Year 2013

Signature with Date
(Satyanarayan Choudhary)
Registering Officer, Bhagalpur

Date: 18/09/2013 **Token No: 15301 /2013**

1.नाम लेख्यकारीगण एवं पूरा पता :– (1) श्रीमती सुशीला देवी पति स्व० तारकेश्वर मिश्र, पेशा– गृहणी, वो (2) श्री सुरेश कुमार मिश्र वो (3) श्री महेश प्रसाद मिश्र वो (4) श्री राजेश कुमार मिश्र वो (5) श्री मनीष कुमार मिश्र पेसरान

Rajesh Kumar Mishra 18/9/13
Manish Kumar Mishra 18/9/13

Suresh Kumar Mishra 18/9/13
महेश प्रसाद मिश्र 18/9/13

Token Number 15301	Reg. Year 2013	Serial Number	Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Radhe Shyam Dalania						
Sig. Radhe Shyam Dalania 18/9/2013							
Presented By	Sushila Devi						
Sig. सुशीला देवी 18/9/13							
Executant	Sushila Devi						
Sig. सुशीला देवी 18/9/13							
Executant	Suresh Kumar Mishra						
Sig. Suresh Kumar Mishra 18/09/2013							
Executant	Rajesh Kumar Mishra						
Sig. Rajesh Kumar Mishra 18/9/013							
Executant	Manish Kumar Mishra						
Sig. Manish Kumar Mishra 18/09/2013							
Executant	Mahesh Pd. Mishra				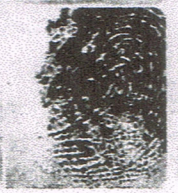		
Sig. 18/9/13							
Identified By	Rani Mishra						
Sig. 18/09/2013							

SCORE Ver:3.0	Powered by InfoSystem and Solutions,Patna	Biometric Captured By 2200sop002

आवेदक/विक्रेता/क्रेता/प्राधिकृत द्वारा उपरोक्त अचल संपत्ति का विवरण
बही संख्या - 1 जिल्द संख्या - 1 पृष्ठ संख्या 1 से 26 है। अ. सं. 43 तक स्वीकृत किया जाता है।

सब रजिस्ट्रार - 1 पूर्वी आरवाल

सुशीला देवी
18/9/13

स्व० तारकेश्वर मिश्र, पेशेदरान– व्यवसाय, जाति– ब्राह्मण, निवासी– मोहल्ला बड़ी खंजरपुर , थाना– बरारी, निबंधन कार्यालय एवं जिला भागलपुर।

2.नाम लेख्यधारी एवं पूरा पता :– देवांसी स्टेटस (प्रा०) लि० कम्पनी निबंधित धारा 1956 के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रेशन नं०– U70108/WB 2004 PTC 099723 दिनांक– 9.9.2004 निबंधन कार्यालय 37 बेन्टीक स्ट्रीट तृतीय तल्ला रूम नं०– 314 कोलकाता 69 (पश्चिम बंगाल) द्वारा निर्देशक श्री राधेश्याम दालानियाँ पिता श्री शम्भू नाथ दालानियाँ एवं श्रीमती संगीता देवी दालानियाँ पति श्री राधेश्याम दालानियाँ, ~~निवासी~~ 86 के० बी० लाल रोड, ~~नाथनगर~~, थाना– नाथनगर, निबंधन कार्यालय एवं जिला– भागलपुर। राष्ट्रीयता भारतीय।

3.लेख्य प्रकार :– डवलपर एग्रीमेंट (Developers Agreement)

4.बाजार मूल्य :– मोवलग 99,95,000/– निनानवे लाख पनचानवे हजार रूपये जिसका आधा मोवलग 49,97,500/– उनचास लाख सनतानवे हजार पाँच सौ रूपये होता हैं।

5.सम्पत्ति विवरण :– मवाजी 7900 सात हजार नौ सौ वर्गफीट जमीन व नाप 720 सात सौ बीस वर्गफीट प्रति कट्ठा के हिसाब से मवाजी 10 कट्ठा 19 धुर 8 8 धुरकी जमीन याने मवाजी 18.17 डिसमल जमीन होता है। अराजी वसोवास परती मय कुल हक हकुक सोलह आना दखली वो मकबुजगी वाके मुहल्ला खंजरपुर, थाना बरारी, निबंधन कार्यालय एवं जिला भागलपुर। जिसका जमा सलाना मोवलग 1.20 रूपये माल अलावे शेष वो नगर निगम कर क्वाटरली मोवलग 208.75 रूपये लगता है। जिसका सर्वे वार्ड नं०– 4 वो हाल वार्ड नं०– 26 वो होल्डिंग नं०– 43 नन्द लाल मिश्र लेन, अन्दर नगर निगम भागलपुर के वाके है। जिसका नया सर्वे का खाता नं०– 304 (तीन सौ चार) खेसरा नं०– 965 (नौ सौ पैसठ) क,ख 966 (नौ सौ छियासठ) 968 (नौ सौ अड़सठ) क,ख 969 (नौ सौ उनहत्तर) चारो सम्पूर्ण एवं 970 (नौ सौ सत्तर) का अंश अन्दर जमीन्दारी बिहार सरकार अंचलाधिकारी जगदीशपुर के वाके है। जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :–

रकवा	उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
7900 सात हजार नौ सौ वर्गफीट	यदुनन्दन प्रसाद सिंह वगैरह	विजय कुमार मिश्र वगैरह	संजय कुमार सिंह, विजय कुमार मिश्र वगैरह	नन्द लाल मिश्र लेन

मवाजी 7900 सात हजार नौ सौ वर्गफीट भूमि विकास कार्य के लिए दिया जाता है।

यह कि जायदाद खाना नं० 5 वाला लेख्यकारीगण का मरोसी जायदाद है। वो खतियान नाम से तारकेश्वर मिश्र पिता स्व० पंडित बाल कृष्ण मिश्र के फायनल पाया है। वो तारकेश्वर मिश्र ने अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ दिनांक– 11.05.1999 ई० को आपस में बंटवारा कर लिये। वो जायदाद खाना नं० 5 वाला खास हिस्सा में सुशीला देवी के दर आया। वो हम लेख्यकारिणी जायदाद मजकुर पर आज तक निर्विवाद रूप से दखलकार चली आ रही हूँ। वो हम लेख्यकारिणी अपना नाम इन्द्राज नगर निगम भागलपुर वो अंचल कार्यालय जगदीशपुर की पंजी में अपना नाम दर्ज कराकर कर का भुगतान करते चले आ रहे है। जिसका जमाबन्दी नं०– 1757 है। इस हैसियत से हम लेख्यकारीगण को विकास कार्य के लिये किसी पक्ष को देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि लेख्यकारीगण को उक्त वर्णित सम्पत्ति क्रम संख्या 5 वाला पर एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण करना है। इस कार्य को लेख्यकारीगण स्वयं करने से असमर्थ है, इसलिये इस कार्य को करने के लिए उन्होने उक्त जायदाद को देवांसी स्टेटस (प्रा०) लि० कम्पनी निर्देशक श्री राधेश्याम दालानियां एवं श्रीमती संगीता देवी दालानिया जो डवलपर का कार्य करते है। जिसका कार्य भूखण्डों का विस्तार कर उसपर बहुमंजिली इमारतो का निर्माण करना तत्पश्चात् उसे बिक्री कर लाभ कमाना है। जो लेख्यधारी है से सम्पर्क किया और उनसे वर्णित भूमि का विकास कार्य करने का आग्रह किया और उन्हे विश्वास दिलाया कि उक्त वर्णित सम्पत्ति हर सूरत से पाक साफ है कही किसी दिगर सख्स के साथ किसी प्रकार का रेहन, जरव्याना, दान–पत्र, केवाला या किसी अन्य प्रकार का दस्तावेज नामी या बेनामी निष्पादित नहीं किया है और ना ही उक्त सम्पति पर किसी सरकारी अर्द्धसरकारी प्राईवेट बैंक या संस्था से किसी प्रकार का कोई ~~ऋण लिया गया~~ है।

यह कि इस क्रम में दोनों पक्षों के बीच आपसी बात–चीत के बाद निम्नलिखित शर्त्तो पर दोनों पक्ष वर्णित भूमि पर विकास करने एवं करवाने के लिए तैयार हुए –

1. यह कि लेख्यधारी इस एकरारनामा के क्रम संख्या 5 में वर्णित लेख्यकारीगण की सम्पत्ति पर अपने एवं फ्लैट के खरीदारो द्वारा दी गयी अग्रिम राशि से एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण करेगें।
2. यह कि प्रस्ताविक इमारत का नाम दोनों पक्षों की सहमति से "SUSHILA ENCLAVE" निर्धारित किया गया है।
3. यह कि निर्मित इमारत में जमीन मालिक को उनके जमीन के एवज में कुल बिल्ट अप एरिया का 40 प्रतिशत हिस्सा दिया जायेगा जिसमें लेख्यकारिणी के चारों बेटों को दो–दो फ्लैट मिलेगा एवं बचा हुआ फ्लैट लेख्यकारिणी के हिस्से में जायेगा एवं शेष 60 प्रतिशत हिस्सा डवलपर का होगा जो उनके द्वारा निर्माण कार्य में किये गये खर्च के ऐवज में दिया जायेगा।
4. यह कि लेख्यकारिणी वो उनके चारों पुत्रगणों ने लेख्यधारी से प्रत्येक ने पाँच–पाँच लाख रूपये यानि कुल मोवलग 25,00,000/– पच्चीस लाख रूपैया चेक द्वारा लेते हैं। वो इसके एवज में निर्मित इमारत में से मवाजी 1800 वर्गफीट संरचना क्षेत्र (Builtup Area) लेख्यधारी को रूपैया के ऐवज में हक प्रदान करते हैं। अतः कॉलम नं० 3 में वर्णित हक में लेख्यधारी का कुल क्षेत्रफल 60 प्रतिशत + 1800 वर्गफीट तथा लेख्यकारिणी एवं उनके चारों पुत्रों का हिस्सा कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत में 1800 वर्गफीट कम होगा। किसी भी हालत में लेख्यकारिणी एवं उसके पुत्रों का हक कुल बिल्टप एरिया का 40 प्रतिशत में 1800 वर्गफीट कम होगा। भुगतान स्वरूप दिये गये चेकों का विवरण निम्न है :–

नाम :– श्रीमती सुशीला देवी			
चेक संख्या	रकम	चेक का दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा
487598	1,00,000/–	18.09.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487599	1,00,000/–	18.11.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487600	1,00,000/–	18.12.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487601	1,00,000/–	18.01.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487602	1,00,000/–	18.02.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur

नाम :– श्री सुरेश कुमार मिश्र			
चेक संख्या	रकम	चेक का दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा
487603	1,00,000/–	18.09.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487604	1,00,000/–	18.11.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487605	1,00,000/–	18.12.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487606	1,00,000/–	18.01.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487607	1,00,000/–	18.02.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur

नाम :– श्री महेश प्रसाद मिश्र			
चेक संख्या	रकम	चेक का दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा
487608	1,00,000/–	18.09.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487609	1,00,000/–	18.11.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487610	1,00,000/–	18.12.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487611	1,00,000/–	18.01.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487612	1,00,000/–	18.02.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur

नाम :– श्री राजेश कुमार मिश्र			
चेक संख्या	रकम	चेक का दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा
487613	1,00,000/–	18.09.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487614	1,00,000/–	18.11.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487615	1,00,000/–	18.12.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur

487616	1,00,000/–	18.01.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487617	1,00,000/–	18.02.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur

नाम :– श्री मनीष कुमार मिश्र			
चेक संख्या	रकम	चेक का दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा
487618	1,00,000/–	18.09.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487619	1,00,000/–	18.11.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487620	1,00,000/–	18.12.2013	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487621	1,00,000/–	18.01.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur
487622	1,00,000/–	18.02.2014	H.D.F.C Bank, Bhagalpur

5. यह कि डवलपर द्वारा दिया गया चेक किसी भी लेख्यकारी का बैंक द्वारा भुगतान नहीं होती हैं, और वो वापस होती हैं, तो ऐसी अवस्था में लेख्यधारी चेक वापस लेकर अविलम्ब चेक राशि की भुगतान दो माह के अंदर दुसरा चेक/डी.डी./पेय आर्डर/नगद द्वारा लेख्यधारी लेख्यकारी को भुगतान करेगें, अगर भुगतान नहीं हो पाया तो उपरोक्त एग्रीमेंट अपूर्ण माना जायेगा।
6. यह कि इस डवलपर एग्रीमेंट के निष्पादन के बाद डवलपर प्रस्तावित इमारत का नक्शा Architect के द्वारा तैयार करवा कर जमीन मालिक से उसका अवलोकन करवा लेगें।
7. यह कि डवलपर द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शे से संतुष्ट होने के बाद जमीन मालिक नक्शे पर जहाँ–जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ अपना हस्ताक्षर कर देगें एवं आवश्यक जमीन के कागजात डवलपर को उपलब्ध करा देगें ताकि नक्शा पास होने के लिए सम्बन्धित विभाग या पदाधिकारी के पास प्रस्तुत किया जा सके।
8. यह कि नक्शा पास करने की पूर्ण जबाबदेही डवलपर की होगी एवं उसमें होने वाले व्यय का वहन डवलपर करेगे।
9. यह कि भवन निर्माण में वास्तु का यथासंभव ध्यान रखा जाएगा।

10. यह कि डवलपर अनुकूल परिस्थितियों में नक्शा पारित होने की तिथि से 4 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य को पूर्ण कर लेगें। अगर किसी अनहोनी यथा बाढ़, भूकंप, हड़ताल, मजदुरों की अनुपलब्धता, युद्ध अथवा प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी भी कारण वश भवन निर्माण समय पर नहीं हो पाता है तो जमीन मालिक डवलपर को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देगें।

11. यह कि डवलपर को वर्णित भूमि पर अपना बैनर, होडिंग आदि लगाने एवं कार्य संचालन हेतू कार्यालय खोलने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. यह कि डवलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपनी स्वेच्छा अनुसार इंजिनियर, आर्किटेक्ट, स्टाफ एवं लेबर का चयन करेगें इसमें जमीन मालिक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगें।

13. यह कि डवलपर इस एकरारनामा के बाद भवन निर्माण का कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकेगें इसमें जमीन मालिक किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेगें।

14. यह कि अगर भविष्य में निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले डवलपर नक्शे में सम्बन्धित विभाग के नियमानुसार कुछ परिवर्त्तन करना चाहे तो जमीन मालिक के आपसी सहमति से वे कर सकते है और होने वाले व्यय का भुगतान डवलपर करेगें।

15. यह कि अगर भविष्य में निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले जमीन मालिक अपने हिस्से के एरिया में कुछ परिवर्त्तन कराना चाहे तो डवलपर की सहमति से उनके द्वारा करवा सकते है वैसी स्थिति में होने वाले अतिरिक्त व्यय का भुगतान जमीन मालिक करेगें।

16. यह कि दोनों पक्ष कॉलम नं० 4 में वर्णित, इमारत में अपने–अपने हिस्से में पड़ने वाले भाग को अपने स्तर से बिक्री, लीज, आवंटन करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक दुसरे पक्ष को एक दुसरे से किसी भी प्रकार की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही स्वतंत्र रूप से निबंधन कार्यालय में उपस्थित होकर बिक्रीनामा, लीज आदि किसी भी प्रकार के दस्तावेज निष्पादित करने का अधिकार ये एक–दूसरे को प्रदान करते हैं।

17. यह कि डवलपर भवन निर्माण के लिए किसी सरकारी गैर सरकारी अर्द्धसरकारी बैंक या संस्था से या किसी व्यक्ति से ऋण ले सकते है जिसे चुक्ता करने की सारी जबाबदेही डवलपर या खरीदार की होगी।

इस क्रम में वे अपने हिस्से में पड़ने वाले 60 प्रतिशत हिस्सा को बंधक रख सकते है या उसका आवंटन कर सकते है।

18. यह कि प्रस्तावित इमारत में दी जाने वाली सुविधाओं एवं प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों की एक सूचि बनाकर उसपर दोनों पक्ष अपना–अपना हस्ताक्षर कर देगे। अगर जमीन मालिक अपने आवंटित हिस्से में इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य डवलपर से करवाते है तो उसके लिए किया गया अतिरिक्त खर्च जमीन मालिक डवलपर को भुगतान करने के पायवंद होगे।

19. यह कि अगर जमीन मालिक अपने आवंटित हिस्से में निर्माण के बाद कोई ऐसा कार्य करवाते है जो सम्बन्धित विभाग के नजर से विचलन समझा जाता है, तो वैसी स्थिति में लगने वाले अर्थदण्ड या जूर्माने के भुगतान की जबाबदेही जमीन मालिक की होगी।

20. यह कि डवलपर प्रस्ताविक भवन में लिफ्ट की समुचित व्यवस्था करेगें जो छः लोगों को लेकर जा सके।

21. यह कि प्रस्ताविक भवन के कॉमन एरिया का उपयोग जमीन मालिक एवं डवलपर या इनके द्वारा निर्देशित व्यक्ति या फ्लैट में रहने वाले लोग समान रूप से कर सकेगें। इसपर किसी भी पक्ष का कोई विशेष अधिकार नहीं होगा और ना ही किसी भी पक्ष द्वारा इसे बिक्री किया जायेगा या पट्टे पर दिया जायेगा।

22. यह कि प्रस्तावित भवन के उपरी छत को जमीन मालिक या डवलपर किसी भी सुरत में बिक्री या लीज नहीं कर सकते है। इसपर जमीन मालिक डवलपर एवं फ्लैट में रहने वाले लोगों का समान अधिकार होगा तथा सभी के द्वारा समान रूप से उपयोग किया जायेगा।

23. यह कि जमीन मालिक यह एकरार करते है कि वर्णित भू–भाग हर सूरत से पाक–साफ है और किसी भी विभाग द्वारा जमीन के अधिग्रहण से नोटिस अभी या पूर्व में जारी नहीं किया गया है, और ना ही इसपर किसी भी अदालत में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित है, या किसी भी न्यायालय द्वारा उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार का आदेश पारित किया गया है।

24. यह कि प्रथम पक्ष के अलावे इस सम्पत्ति पर किसी अन्य पक्ष या व्यक्ति का कोई हिस्सा या अधिकार नहीं है और ना ही यह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है।

25. यह कि यह एकरारनामा जमीन मालिक द्वारा किया जाने वाला प्रथम एवं अंतिम एकरमारनामा है। इससे पहले किसी भी पक्ष के साथ किसी प्रकार का लिखित या अलिखित एकरारनामा या किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमीन मालिक ने निष्पादित नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो जमीन मालिक द्वारा ली गयी राशि सम्बन्धित पक्ष को लौटाकर उनसे अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने की जबाबदेही जमीन मालिक की होगी और इस एकरारनामा का समय उक्त कार्य में लगने वाले समय के अनुसार में बढ़ जायेगा।

26. यह कि विकास कार्य के दौरान अगर जमीन मालिक वर्णित सम्पत्ति या इसके किसी भाग को किसी अन्य के हाथ जरव्याना, रेहन, पट्टा या किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज का निष्पादन करते है, तो वह इस एकरारनामा के नियमों का उल्लंघन माना जायेगा हाँ इस एकरारनामा के अनुसार अपने हिस्से की 40 प्रतिशत हिस्से को वे एकरारनामा केवाला या लीज किसी भी प्रकार से हस्तांतरण कर सकते है।

27. यह कि जमीन मालिक जमीन का स्वामित्व सम्बन्धी सभी कागजात की छायाप्रति एकरारनामा के समय डवलपर को उपलब्ध करा देगें और भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसकी मूल प्रति भी वे उपलब्ध करा देगें। जिसे कार्य समाप्ति के बाद डवलपर जमीन मालिक को लौटा देगें।

28. यह कि भविष्य में अगर जमीन मालिक के भूमि से स्वामित्व सम्बन्धी किस प्रकार का वाद–विवाद या दोष उत्पन्न होता है, तो इसका निष्पादन भू–स्वामी स्वयं या डपलपर के माध्यम से करवा सकते है, पर इस दौरान इसमें होने वाले सारे खर्चो के व्यय की जिम्मेदारी जमीन मालिक की होगी।

29. यह कि निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य से सम्बन्धित किसी प्रकार की घटना–दुघटना या किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती हैं। उसकी सारी जबाबदेही डवलपर की होगी।

30. यह कि प्रस्तुत डवलपर एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की साझेदारी नहीं है।

31. यह कि जमीन मालिक एवं डवलपर दोनों को अपने आवंटित हिस्से पर समान एवं अविभाज्य अधिकार होगा।

32. यह कि दोनों पक्षों के बीच में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उस विवाद के निपटारे का न्याय क्षेत्र हर सूरत में भागलपुर होगा।

33. यह कि इस एग्रीमेंट में एक नजरी नक्शा व रंग लाल वाला संलग्न करते है जो इस दस्तावेज का एक अंग है।

अतएव प्रसन्नता पूर्वक तनमन बुद्धि मस्तिष्क की स्वस्थ दशा में बिना किसी अनुचित प्रभाव में आये अपनी–अपनी लाभ हानि का पुरा–पुरा विचार कर गवाहन के समक्ष यह एकरारनामा पढ़ वो पढ़वाकर तथा समझ बुझकर एक दुसरे के पक्ष में लिख दिया जो समय जरूरत के काम आवे तथा प्रमाण रहे।

गवाह का हस्ताक्षर

1. Rani Mishra
D/o Tarkeshwar Mishra
W/o Sanker Mishra
at Sonvarsa
Dist. Sharsa 18/9/13

2. शंकर मिश्रा
पे० स्व० गिरेन्द्र मिश्रा
ग्रा+पो० सोनवर्षा
थाना – सोनवर्षा
जिला – सहरसा
18/9/13

हस्ताक्षर लेख्यकारीगण

(1) सुशीला देवी 18/9/13
(2) Suresh Kumar Mishra 18/9/13
(3) महेश प्रसाद मिश्र 18/9/13
(4) Rajesh Kumar Mishra
(5) Manish Kumar Mishra 18/9/13

हस्ताक्षर लेख्यधारी

FOR DEWANSHI ESTATES PRIVATE LIMITED
Radhe Shyam Dalania
18/9/13
DIRECTOR

टंकक–
राकेश कुमार
राकेश कुमार,
कचहरी हाता, भागलपुर।

प्रारूपक

विशाल कुमार सिन्हा
कार्तिक
ला० नं० – 124/03
मुन्दीलक, भागलपुर
18/9/13

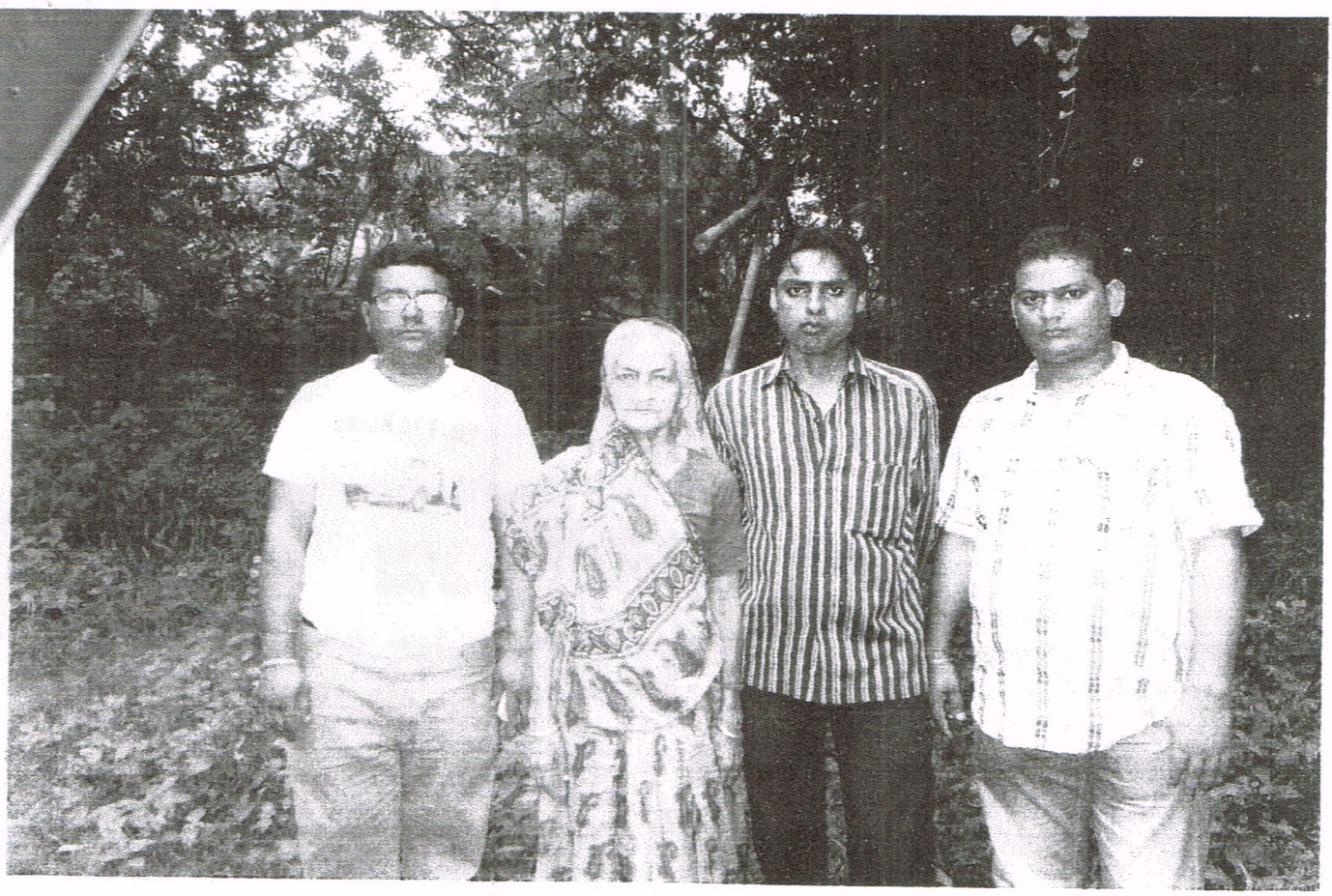

सुशीला देवी

Suresh Kumar Mishra

Radhe Shyam Dalmia

जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर।

नजरी नक्शा

टोकन नं0 :– दस्तावेज नं0 :– दिनांक :–

बिक्रेता का नाम एवं पता :– श्रीमति सुशीला देवी पति स्व० तारकेश्वर मिश्र वगैरह, साकिन बड़ी खंजरपुर, थाना बरारी, जिला भागलपुर।

क्रेता का नाम एवं पता :– देवान्सी स्टेटस (प्रा०) लि० कम्पनी निर्देशक श्री राधेश्याम दालमियाँ पिता श्री शम्भु नाथ दालमियाँ स्था० के० बी० लाल रोड, नाथनगर, थाना – नाथनगर जिला भागलपुर।

मौजा :– खंजरपुर अंचल :– जगदीशपुर

थाना :– बरारी थाना नं० :–

खाता नं0 :– 304

खेसरा नं0 :– 965 क, ख, 966, 968 क, ख, 969, 970 अंश

रकवा :– 7900 वर्गफीट

वाई नं0 – 26 नया

चौहद्दी :–

उ0 :– यदुनन्दन प्रसाद सिंह वगैरह

द0 :– विजय कुमार मिश्र वगैरह

पू0 :– संजय कुमार सिंह वो विजय मिश्रा वगैरह

पश्चि0 :– मंटू लाल मिश्र लेन

नजरी नक्शा

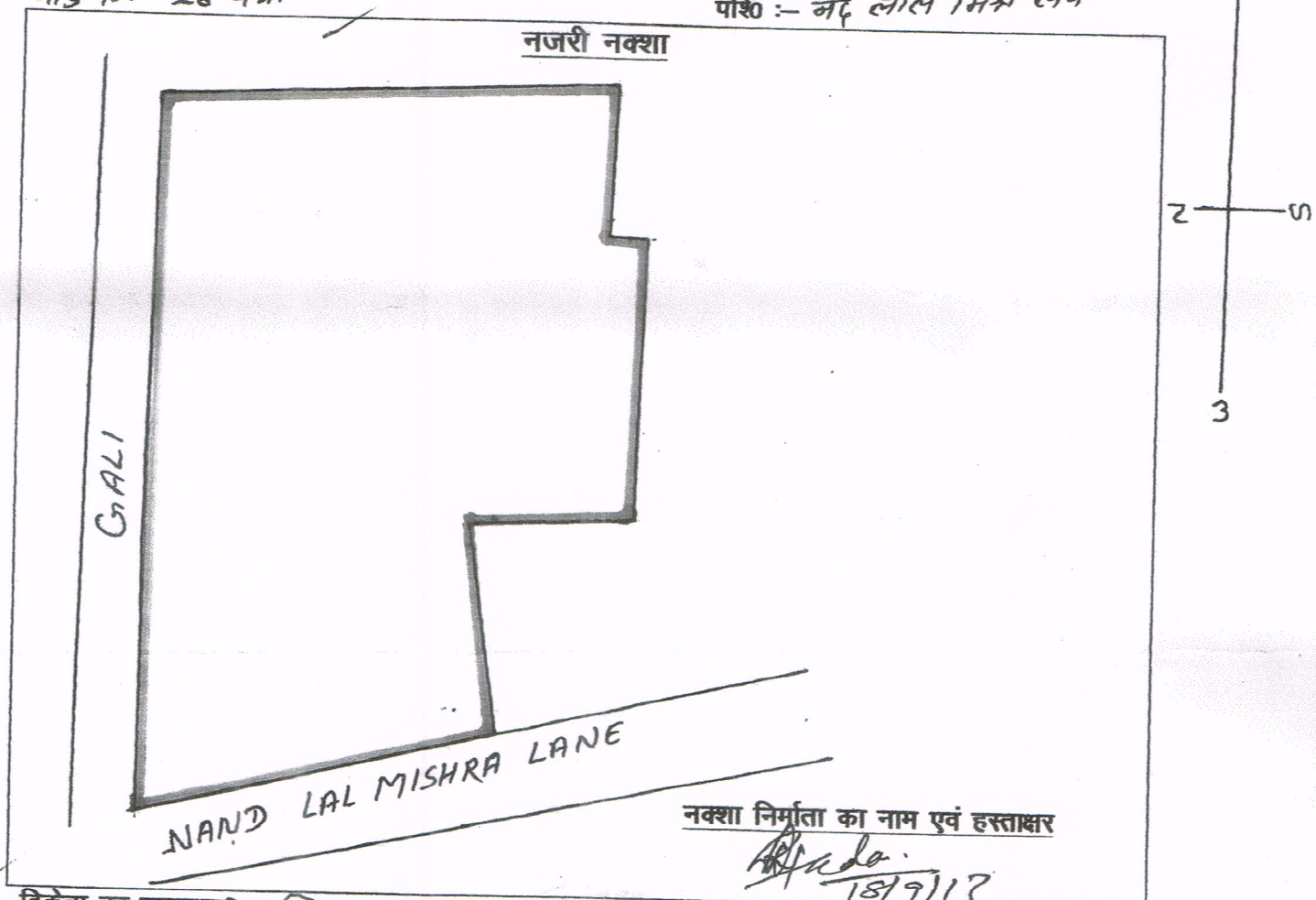

नक्शा निर्माता का नाम एवं हस्ताक्षर

18/7/13

बिक्रेता का हस्ताक्षर

(1) [illegible] 18/7/13

(2) Rajnesh Kumar Mishra 18/7/13

(3) [illegible] 18/7/13

(4) [illegible] 18/7/13

(5) Manish Kumar Mishra 18/7/13

क्रेता का हस्ताक्षर

FOR DEWANCHI ESTATES PRIVATE LIMITED

Radhe Shyam Dalamia

DIRECTOR

18/7/13

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 249900/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 269320/-

Registration Fee

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	45
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	20045

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20420

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	375
Proc.Fee	0	
Total	0	

Registering Officer
Bhagalpur

Date: 18/09/2013

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bhagalpur on Wednesday, 18th September 2013 by Sushila Devi Tarkeshwar Mishra by profession House Wife. Status - Executant

सुशीला देवी
18/9/13

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:18/09/2013**

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Rani Mishra' age '42' Sex 'F', 'Shankar Mishra', resident of 'Sonbarsa, Saharsa'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 18/09/2013

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bhagalpur in Book 1 Volume No. 199 on pages on 246 -259 , for the year 2013 and stored in CD volume No. CD-31 year 2013 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 18/09/2013

oken No. : 15301 Year : 2013 S.No. : 14442 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 14227

Scanned By
Sd/-.....
Computer Operator